Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में पुलिस थाना सरमथुरा का हैड कानिस्टेबल 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 दिसम्बर,* सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हरिओम मीणा हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे भाई एवं उसके दोस्त को थाने में बैठाकर झूठा मुकदमा बनाने की धमकी देकर हरिओम मीणा हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर द्वारा **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन तथा एसीबी की करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** के नेतृत्व में मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये हरिओम मीणा पुत्र श्री गजाधर निवासी ग्राम कासोटी खेड़ा, पुलिस थाना सदर बाड़ी, जिला धौलपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।